न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री जे.पी. बैरवा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 162/2014

वादी :-

1. श्री सीमेन्ट लि. (रास प्रोजेक्ट जरिये अमरीश कुमार शर्मा मैनेजर (लैण्ड एक्जीक्यूशन) जाति-ब्राह्मण उम्र-53 वर्ष निवासी हाल-मैनेजर श्री सीमेन्ट लि., रास मौजा-रास तहसील-जैतारण, जिला-पाली

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. छोटी पत्नि कालुराम
2. नाथूराम पुत्र कालुराम
3. सुखा पुत्र छितर
4. केसीदेवी पपत्नि बालाराम
5. पूनाराम गोदपुत्र बालाराम
6. बलदेव पुत्र भारूराम
7. सरवणी बेवा लादू
8. भंवरू पुत्र लादू
9. चन्द्रा पुत्र लादू
10. धिरा पुत्र लादू
11. रंगा पुत्र लादू
12. बाबू पुत्र सुजा
13. सुवा पुत्र सुजा
14. वीरम पुत्र सुजा
    जातियान-गुर्जर, निवासी-ढाणी खेड़ा (रास) तहसील-जैतारण, जिला-पाली
15. तहसीलदार जैतारण
    तहसील-जैतारण, जिला-पाली

<u>राजस्व वाद बाबत् तकासमा आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u> <u>तारीख रजू:.21/07/2014</u>

उपस्थित:. 1. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री देवाराम कटारिया, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

<u>-:: निर्णय ::-</u> <u>दिनांक:- 27/02/2018</u>

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् तकासमा आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि श्री सीमेन्ट लि0 ब्यावर का एक सीमेन्ट प्लांट बांगड़ सीमेन्ट के नाम से सरहद मौजा-रास, तहसील-जैतारण में स्थापित हैं, कार्यरत हैं व उत्पादनरत हैं। उक्त श्री सीमेन्ट लि0 रास प्रोजेक्ट एक कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत् एक पब्लिक लि0 कम्पनी के रूप में पंजीबद्ध हैं। इस कम्पनी के सभी प्रकार के कार्मिक व प्रशासनिक कार्यो के लिए बतौर महाप्रबंधक महावीर चौपड़ा नियुक्त व कार्यरत हैं। कम्पनी के द्वारा कृषि भूमि के लिए तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा का यह वाद श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत हैं व वाद पेश करने के कम्पनी का अधिकार पत्र वाद पत्र के साथ पेश की हैं। जिसे वाद पत्र का एक भाग माना जावें। सरहद मौजा-भीवगढ़, पटवार हल्का-रास-द्वितीय, तहसील-जैतारण में वाके आराजी खसरा नम्बर 2320 रकबा 6-18 बीघा किस्म

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

बारानी अव्वल वाके हैं। जिसमें 1/2 हिस्से की भूमि में वादी कम्पनी 6/7 हिस्से यानि कुल का 3/7 की भूमि पर रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार हैं व वादी अपने हिस्से की भूमि पर रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार के काबिज हैं व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 10 उक्त भूमि के रिकॉर्डेड सह खातेदार काश्तकार हैं। मगर वादी व प्रतिवादीगण की सम्पूर्ण भूमि में एक खाते के रूप में शामलाती दर्ज हैं व नक्शा ट्रेश में भी सम्पूर्ण भूमि एक जोत दर्शाई गई हैं। मौके के कब्जे व काश्त अनुसार अलग-अलग तरमीम की हुई नहीं हैं तथा विवादित आराजी को वाद में आगे वादग्रस्त भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा कि सम्वत् 2068 से 2071 की जमाबन्दी खतौनी व नक्शा ट्रेश की प्रमाणित प्रति वाद के साथ पेश की हैं। जिसे वाद का एक भाग माना जावें। वादी की वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 2320 रकबा 6-18 बीघा किस्म बारानी अव्वल वाके हैं। जिसमें 1/2 हिस्से की भूमि में वादी कम्पनी 6/7 हिस्से यानि कुल का 3/7 हिस्से यानि रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा 03 बिस्वांसी कृषि भूमि मौके पर अलग से बंटी हुई हैं। वादी का अलग से कब्जा व काश्त हैं व वादी ने प्रतिवादीगण को मौके के कब्जे व काश्त व हिस्से व खातेदारी अनुसार भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के तकासमा करवाकर खाते अलग दर्ज करवाने व हिस्से अनुसार नक्शा ट्रेश में तरमीम रखने का तकासमा करवाने का कहा-मगर प्रतिवादीगण की नियत सही नहीं होने से उन्होंने बंटवाड़ा करवाने से दिनांक 05/07/2014 को मना कर दिया, जबकि प्रतिवादी को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं हैं। वादी अपनी भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के तकासमा करवाने का अधिकारी हैं। इसलिए दावा तकासमा आराजी खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। बाद तकासमा आराजी वादी अपनी खातेदारी कब्जे काश्त व हिस्से की वादग्रस्त भूमि का उपयोग / उपभोग बतौर खातेदार काश्तकार के करने का अधिकारी हैं व प्रतिवादी को वादी के हक हिस्से व कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी, बाधा पैदा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं हैं। यदि प्रतिवादी द्वारा ऐसा किया गया तो वादी को असीम हानि होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं हैं। वादी को अपूरणीय क्षति होगी। प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया तो वादी को बार-बार दिवानी व फौजदारी मुकदमें करने पड़ेगें। जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी। इसलिए वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी हैं। इसलिए दावा स्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। प्रतिवादीगण संख्या 15 तहसीलदार जैतारण वादग्रस्त कृषि भूमि में लैण्ड होल्डर हैं, जो राज्य सरकार के प्रतिनिधि हैं व तकासमा आराजी के वाद में आवश्यक पक्षकार होने से इस वाद में उन्हें पक्षकार बनाया गया हैं। उनके विरूद्ध कोई रिलीफ नहीं चाही गई हैं। प्रतिवादीगण को वादी कम्पनी व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती हैं। इसलिए प्रतिवादीगण के नाबालिग या फौत होने की दिशा में वादी कम्पनी के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए वाद की कार्यवाही में प्रार्थना पत्र के जरिये संशोधन करने का अधिकार रहेगा। बिनायवाद दिनांक 05/07/2014 को वादी द्वारा प्रतिवादीगण को वादी के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस का कहने व प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा करने से मना करने व वादी को उनके हिस्से की भूमि से बेदखल करने की एलानिया धमकी देने पर बमुकाम-भीवगढ़ (रास) में पैदा हुआ, जो अन्दर म्याद हक अख्त्यार समायत अदालत

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

बाला के हैं। इस प्रकार माफिक दावा वादी का वाद डिक्री किया जाकर वादी की भूमि का पक्षकारानों में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं. 1, 4, 7से 14 बावजूद तामिली / सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। दीगर प्रतिवादीगण को जवाब दावा पेश करने का अनेकानेक अवसर दिये जाने के बावजुद भी जवाब दावा पेश नही करने से जवाब दावा बन्द किया गया। वाद के समर्थन में वादी का साक्ष्य का शपथ-पत्र पेश किया, सा0मि0 हैं।

बहस वकील वादी सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस व्यक्त किया कि माफिक राजस्व रिकॉर्ड विवादित आराजी का वादी के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करवाया जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र, एवं दस्तावेजात मय नजरी नक्शा का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया। वस्तुतः वादी स्वयं रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज हैं, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बॉउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी /नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2017/1335 दिनांक 14.12.2017 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/548 दिनांक 30.01.2018 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकील वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकील वादी एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-भीवगढ़, पटवार हल्का-रास-द्वितीय, तहसील-जैतारण में वाके आराजी खसरा नम्बर 2320 रकबा 6-18 बीघा किस्म बारानी अव्वल की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	श्री सीमेन्ट लि. (रास प्रोजेक्ट) जरिये अमरीश कुमार शर्मा मैनेजर (लैण्ड एक्जीक्यूशन) जाति ब्राहम्ण हाल निवासी श्री सीमेन्ट लि. रास तह. जैतारण खातेदार	2320/1	2-19-00	बा0अ0	1.48 रू.

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

2	सुखा पुत्र छीतर छोटी पत्नि कालुराम नाथूराम पुत्र कालुराम केसीदेवी पत्नि बालाराम पूनाराम गोदपुत्र बालाराम बलदेव पुत्र भारूराम 69/79 हि. सरवणी बेवा लादू भंवरू चन्द्रा धिरा रंगा पिता लादू बाबु सुवा वीरम पिता सूजा 10/79 हि. कौम गुजर सा. काणी खेड़ा खातेदार	2320 2320/2	3-07-00 0-12-00	बा0अ0 बा0अ0	1.97 रू.

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 27/02/2018 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner